

Sub-17616

(4) रमेश कुंवर

कुंवर कर्मि
लनाप
बुधवा उरीव

कार्यालय अंचल अधिकारी, नामकुम, राँची

अनुसूची 14-फारम सं० 562

आदेश - पत्रक
(अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक- ता०.....से.....तक

जिला.- राँची | वाद सं० - 15/16-17

केस का प्रकार - किवद

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आवेदक और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|-----------------------------------|--|---|
| <p>20.7.16 <u>20.8.16</u></p> | <p>उप समाप्ती मू- सुंवर राँची ने अपने पत्रक- 1496 (11) दिनांक- 13.7.16 के द्वारा आवेदक रमेश कुंवर पिता स्व. जयप्रसन्न उरीव निवासी गा- वडा धाधम, खाना- डोरुडा जिला- राँची के आवेदन देकर सूचित किया है कि मौजा- सिद्धिया खाना- नामकुम, खण्ड नं- 26, प्लॉट नं- 359, 1353, 1354, 1355, 1356 का कुल रकबा 1 एकड़ 65 बी.जमीन मौजा सोमारी इंडियन के नाम से दाख खासि- 16.5.1982 हो गया था तथा उनके द्वारा लगान रसीद वर्ष 2004-05 तक भुगतान किया गया है। लेकिन पंजी II में मां का नाम काटकर बुधवा उरीव के नाम से चढ़ा दिया गया है। जिसका रसीद वर्ष- 2007-08 तक निगम किया गया है। पंजी II में देखा जा रहा है कि बुधवा उरीव का नाम हटाकर मां मौ. सोमारी इंडियन के नाम से लगान रसीद निगम कर देना शुरू करते हैं।</p> | |
| | <p>अभिलेख दिनांक 20/8/16 के रसे। 20/8/16</p> | |

2.9.16

अभिलेख अध्यापित। हॉकरों से शो-
रूम का जांच. परिचय प्राप्त है। विपरीत
को उक्त भूखंड से संबंधित कागजातों के
समय न्यायालय में आवेदन होना है
नोटिश निर्गत करें।

दिनांक 2.10.16 को रखें।

W
22/09/16
डा. का. नामकुं

2.10.16
13.12.16

अभिलेख अध्यापित। उक्त पक्षों के नोटिश
निर्गत कर कागजात की मांग करें। अभिलेख
दिनांक 22.12.16 के अध्यापित को

1601
16.12.16

22.12.16

अभिलेख अध्यापित। नोटिश बिना
तहिला वापस। जोसेफ पिडुन के द्वारा
सूचित किया गया है कि ग्रामीणों द्वारा
पता चला कि कुख्यात अश्विनियों गांव
में नहीं रहता है। अतएव द्वारा लिखित
सूचना दिया गया कि उनके द्वारा खे में ही
कागजात जमा का किया है। दिनांक पक्ष को पुनः
नोटिश निर्गत करें।

W
13/12/16
डा. का. नामकुं

अभिलेख दिनांक 22.1.17 के अध्यापित को

55
16.01.17

22.1.17
23.1.17

अभिलेख अध्यापित। नोटिश तहिला
प्र. पक्ष की दाखिले दी गई। दिनांक - 18.2.17 को
रखें।

W
22/1/16
अध्यक्ष नामकुं

डा. का. नामकुं


03.02.2023


अभिलेख आज उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक लम्बे समय से लगातार अनुपस्थित है। इससे प्रतीत होता है कि इन्हें इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है।

उप समाहर्ता भूमि सुधार सदर, राँची के ज्ञापांक 254(ii) दिनांक 19.01.23 द्वारा संयुक्त सचिव, राजस्व पर्वद, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 1175/रा.प. दिनांक 24.11.2022 प्राप्त है। जिसमें विविध आवेदन/अपील/रिवीजन को entertain नहीं करने का निदेश दिया गया है। यह विविध वाद से संबंधित है।

अतः उक्त आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


अंचल अधिकारी
नामकुम।


अंचल अधिकारी
नामकुम।